डॉ0 प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2018 को सभागार, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना में कृषि रोड मैप 2017–22 में पटना प्रमण्डल की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थिति :–**

उपस्थिति संलग्न विवरणी के अनुसार।

2. **बैठक की कार्यवाही :–**

प्रधान सचिव, कृषि विभाग द्वारा माननीय मंत्री, कृषि, बिहार, डॉ0 प्रेम कुमार का स्वागत किया गया। उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए आज की बैठक में कृषि रोड मैप 2017–22 अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा बैठक को सम्बोधित करते हुए कृषि रोड मैप वर्ष 2017–22 शुरू करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि विभाग, बिहार, प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, कृषि निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, एवं विभागीय पदाधिकारियों को अभिवादन किये। आज की बैठक में कृषि रोड मैप 2017–22 में पटना प्रमण्डल के संबंधित विभागों का योजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। आगामी 5 वर्षो के लिए 12 विभागों के सहयोग से एक अच्छा कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। पहला कृषि रोड मैप 2008–12 से पहली बार किसानों का आत्म विश्वास बढ़ा है।

कृषि रोड मैप वर्ष 2017–22 में 12 विभागों के समन्वय से बजट तैयार कर कृषि, सिंचाई, सहकारिता, मत्स्य, पशुपालन, लघु सिंचाई, विधुत आदि के क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 1.5 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। दोनों फसलों जैसे खरीफ/रब्बी की योजनाओं से माननीय मुख्यमंत्री के पहल एवं प्रधानमंत्री की चाहत है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगनी की जाय के क्रम में किसानों की आमदनी बढ़ाने में किसानों को मत्स्य, वर्मी कम्पोष्ट, वागवानी, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, पशुपालन आदि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप अन्तर्गत प्रशिक्षित कर किसानो के आमदनी दुगनी करने के प्रयास हो रहा है। सभी जिला में लक्ष्य तैयार कर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षित किसानों को बैंक से वित्तीय सहायता दिलाया जायेगा। एक एकड़ जमीन वाले किसानों को मधुमक्खी पालन, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, वर्मी कम्पोष्ट, उद्यानिक फसल आदि से किसानों को अपने आमदनी को बढ़ाने की आवश्यकता है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भविष्य में सभी किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाय। जो जिला जैविक खेती योजना में छुट गए है उन जिलों को शामिल किया जाए। सब्जी खेती हेतु 9 जिलों का जैविक कोरिडोर बनाया गया है। 2000 एकड़ जैविक खेती की योजना बनायी गयी है। बाजार के लिए को–ऑपरेटिव बनाया जाय। दुग्ध के मामले में डेयरी फार्म,

कम्फेड के माध्यम से किसानों में सहकारिता को प्रोमोट किया जाय। किसानों से अच्छा फिड बैक मिल रहा है।

पंचायत, प्रखण्ड स्तर, जिला स्तर के लिए सिंचाई की क्या आवश्यकता है। वाटर सेड के निर्माण के लिए सतत् अभियान चलाया जाय। किसानों से प्राप्त सूचना से वास्तव में पंचायतों को क्या आवश्यकता है का आकलन किया जाय जिससे किसानों को अलग से सिंचाई सुविधा मिल सके। विगत दोनों कृषि रोड मैप से किसानों का अच्छा परफॉरमेन्स रहा है। किसानों की चुनौतियाँ, नीलगाय से किसानों को राहत, दक्षिण बिहार में वाटर सेड का निर्माण हो। कृषि रोड मैप 2017–22 के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रमण्डलवार समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रधान सचिव, कृषि का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे भारत में बिहार राज्य के कृषि रोड मैप की काफी प्रशंसा हुई है। किसानों के सहयोग से काफी सफलता मिल रही है। बीज के मामले में थोड़ी समस्या है। कृषि रोड मैप 2017–22 में किसानों के आमदनी बढ़ाने हेतु बहुत योजनायें बनायी गयी है। इस बार कृषि रोड मैप 2017–22 किसानों के हित के दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि जैविक कोरिडोर का लक्ष्य के अनुरूप रजिस्टेशन किया जाय। नालन्दा जिला में जैविक खेती हेतु 200 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पटना में 4000 किसानों का रजिस्टेशन किया गया है।

प्रधान सचिव द्वारा धान अधिप्राप्ति पृच्छा के क्रम में जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि धान में 18–19 प्रतिशत नमी है। धान अधिप्राप्ति में 17 करोड़ रूपये का भुगतान किसानों को किया गया है।

जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 4.51 करोड़ में 1.07 करोड़ भुगतान किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि किसानो को भुगतान नहीं होगा तो धान अधिप्राप्ति योजना से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा।

प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि सब्जी के लिए को–ऑपरेटिव बनाया गया है। नालंदा जिला के द्वारा बताया गया कि 21 पंचायतो में कॉ–ऑपरेटिव हो चुका है। 23 को–ऑपरेटिव बनाना है। 11 पंचायत रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टार को भेजा गया है। 3 त्रुटि निराकरण के लिए भेजा गया है। धान अधिप्राप्ति योजना में धान गोदाम से मिल में नहीं जा रहा है। संबंधित चावल मिल से टैगिंग 2–3 दिन पहले हो गया है। प्रधान सचिव, महोदय द्वारा बताया गया कि एन0एफ0एस0एम0, आर0के0भी0वाई0, जैविक खेती, कृषि यांत्रिकिकरण , मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार, ब्रीज ग्राम योजना, बागवानी, डीजल अनुदान के व्यय के आधार पर जिलों का रैंकिंग किया गया है।

दिनांक 15.01.2018 तक व्यय					राशि –लाख रूपये में
कम सं0	जिला का नाम	वर्ष 2017–18 में कुल आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत	कोषागार में लंबित विपत्र
1	2	3	4	5	
1	पटना	**2985.13**	**1497.14**	**50.15**	
2	नालंदा	**2977.36**	**1411.24**	**47.40**	
3	भोजपुर	**2020.62**	**851.14**	**42.12**	
4	बक्सर	**1487.20**	**613.01**	**41.22**	
5	रोहतास	**2208.00**	**1099.02**	**49.77**	97 लाख
6	कैमूर	**1670.55**	**802.17**	**48.02**	
प्रमण्डलीय योग		**13348.86**	**6273.72**	**47.00**	

प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि लगभग 50 प्रतिशत खर्च है। वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति हेतु सभी पदाधिकारी को पाक्षिक लक्ष्य उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को कोषागार से निकासी की गयी राशि को 31 जनवरी 2018 तक अनिवार्य रूप से कृषकों के खाते में स्थानान्तरित करा देने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव द्वारा पृच्छा किया गया कि कृषि समन्वयक के नियमित नियुक्ति के कारण कृषि यांत्रिकीकरण का सत्यापन कार्य की प्रगति धीमी हो गयी है। किसान सलाहकारो में तकनीकी अनुभव की कमी है। कृषि निदेशक द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को कृषि समन्वयकों को कॉउसिंलिंग के लिए गृह पता एवं मेल पर पत्र भेजकर सूचित करने का निदेश दिया गया। अबतक बिहार राज्य में लगभग 3000 कृषि समन्वयकों ने योगदान दिया है। कृषि निदेशक के स्तर पर आदेश हिन्दी एवं अँग्रेजी समाचार पत्रों तथा वेबसाईट पर भी इसकी विज्ञापन उपलब्ध कराया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी अपने जिले में सभी चयनित कृषि समन्वयक के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें तथा इसकी सूचना कृषि निदेशालय को उपलब्ध करायें।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि निदेशालय स्तर से कृषि समन्वयक एवं प्रगतिशील किसानों के उन्मुखीकरण का एक कार्यक्रम रखा जाय।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पृच्छा किया गया कि आर०टी०जी०एस० से पटना जिला से किसानों के खाते में राशि DBT किया जा रहा है या नहीं ? कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों को कहा गया कि आपके पास योजना में लाभान्वित किसानों को बैंक खाता है। अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में DBT के माध्यम से हस्तान्तरण किया जाय। माननीय मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि कृषि निदेशक के स्तर से पूर्व के आदेश को संशोधित कर

जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से कृषि विभाग के योजनाओं में लाभान्वित किसानों को अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में DBT के माध्यम से स्थानान्तरण किया जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ससमय कृषि विभाग में संचालित योजनाओं के लाभान्वित कृषकों को ससमय राशि का DBT की समीक्षा हेतु प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी का साप्ताहिक बैठक की जाय।

आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा बताया गया कि रोहतास जिला को डीजल अनुदान की आवश्कता नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा जिलावार डीजल अनुदान का समीक्षा किया गया। डीजल अनुदान की राशि किसानों को मिल रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष 2018–19 से डीजल अनुदान योजना में भी आवेदन ऑनलाईन करने पर विचार किया गया। डीजल अनुदान की राशि की स्वीकृति भी ऑनलाईन होगी।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा बताया गया कि किसानों को उर्वरक की कोई कमी की शिकायत नहीं है। किसानों को यूरिया निर्धारित मूल्य 295/– रूपये से अधिक रूपये में बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है। नालंदा से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है। किसानो को यूरिया निर्धारित मूल्य 295/– रूपये में मिलना सुनिश्चित किया जाय। प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा बताया गया कि इन जिलों में पैक्स में POS मशीन भी नही लग रहा है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रधान सचिव, महोदय बताया गया कि आरा, बक्सर जिला में पैक्स से सबसे ज्यादा फर्टिलाईजर भेजे जाने से समस्या आ रही है। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि यदि उर्वरक बिक्रेता ज्यादा दाम लेता है तो कार्रवाई करें। उर्वरक बिक्रेताओं को अनुज्ञप्ति निर्धारित मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने के लिए मिला है, न कि अधिक मूल्य पर। यूरिया 295 रूपया में किसानों को मिलने का समाचार से ज्यादा अच्छा होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त, महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत मिलने पर प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गयी, इसकी समीक्षा जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

समीक्षा के क्रम में निदेशक (भूमि संरक्षण), बिहार द्वारा बताया गया कि पटना प्रमण्डल अन्तर्गत पी0डी0एम0सी0 योजना में 2.93 करोड़ रूपये आवंटन में 1.18 करोड़ रूपये खर्च हो चुका है। 50 प्रतिशत राशि खर्च किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जलछाजन विकास) की राशि की निकासी कर पी0एल0 खाता में संधारित किया जा चुका है। पी0एल0 खाता से राशि कि निकासी की कार्रवाई की जा रही है। 15 फरवरी, 2018 तक 70 प्रतिशत व्यय होने का अनुमान है। पटना प्रमण्डल में अबतक 54 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है। व्यय करने में नालंदा एवं भोजपुर जिला अभी काफी पीछे है। सहायक निदेशक (भूमि संरक्षण) को निदेश दिया गया कि

शत्–प्रतिशत राशि व्यय करने हेतु पाक्षिक कार्ययोजना तैयार कर प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध कराते हुए कृषि निदेशालय को अवगत कराया जाय।

प्रधान सचिव द्वारा पृच्छा किया गया कि बागवानी के लिए किन–किन मदों में अनुदान दिया गया है। बागवानी में बहुत से कार्यक्रम है। बागवानी अन्तर्गत योजनाओं का समीक्षा की गयी। नालंदा जिला में 37.30 लाख आवंटन राशि निकासी हुआ है। भोजपुर जिला में 1.09 करोड़ आवंटन में 77.28 लाख व्यय किया गया है। बक्सर जिला में 1.11 लाख व्यय है। रोहतास जिला में मिशन प्रबंधन में 6.09 लाख व्यय हुआ है। कैमूर जिला में 2.92 करोड़ रूपये आवंटन में 77.77 लाख राशि की निकासी की गयी है। पटना प्रमण्डल अन्तर्गत उद्यान में आवंटन के विरूद्ध व्यय मात्र 20–30 प्रतिशत है। सघन बागवानी क्षेत्र में किसान प्रशिक्षण 77.00 लाख में 50 प्रतिशत खर्च हुआ है। प्रधान सचिव द्वारा पृच्छा की गयी क्या लाभान्वित किसानों के खाता में राशि का DBT हुआ है।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पृच्छा के क्रम में निदेशक, बामेती, बिहार एवं उप निदेशक (उद्यान) पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा बताया गया कि उद्यान एवं आत्मा में कर्मियों की कमी के कारण ससमय कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है। कृषि उत्पादन आयुक्त निदेश दिया गया कि प्रमण्डल में जितना पद स्वीकृत है, उसकी भर्ती नियमानुसार की जाय। कृषि निदेशक, सभी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त कर इसका डॉक्यूमेन्टेशन कर लें। जितने राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं उद्यान–नर्सरी हैं, उनके रिक्ति की समीक्षा कर ली जाय। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक को निदेश दिया गया कि यदि उद्यान एवं परियोजना निदेशक (आत्मा) के कार्यालय में लिपिकों की कमी की कारण कार्य प्रभावित हो रहा है तो वह अपने स्तर से वहाँ लिपिक का पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को कार्यालय कार्य के लिए प्रतिनियुक्त नहीं करें।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा लघु सिंचाई की याजनाओं की समीक्षा किया गया। कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्रमण्डल में 427 नलकूप चालू बताया गया। नलकूप चालक 32 पदस्थापित है। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई को निदेश दिया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था से सभी नलकूप को हैण्ड ओभर कर सिंचाई हेतु सुगम व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि उप विकास आयुक्त के स्तर पर निजी नलकूप पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है। कार्यपालक अभियन्ता, पटना एवं नालंदा में ज्यादा राशि पड़ा हुआ है और इससे राशि व्यय में ज्यादा बिलम्ब हो रहा है।

उपविकास आयुक्त, पटना द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि निजी नलकूप के 12 आवेदन है, जिसे दो–तीन दिनों में निस्तार कर दिया जाएगा। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि 376 आवेदन प्रखण्ड स्तर पर त्रुटि निराकरण हेतु लंबित है।

आयुक्त, महोदय द्वारा उप विकास आयुक्त, पटना को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों कि एक बैठक बुलाकर लंबित आवेदनों का अविलंब त्रुटि निराकरण कराया जाय।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पृच्छा किया गया कि मत्स्य विभाग का पटना प्रमण्डल में क्या लक्ष्य निर्धारित है। मत्स्य विकास योजना अन्तर्गत तालाब में बोरिंग/पम्पसेट देने की बात चल रही है। प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि मत्स्य विक्रय बाजार (एफ0एस0एम0) हेतु बाजार समिति में जितनी जमीन की आवश्यकता है उसकी स्वीकृति दी जायेगी। मुसल्लहपुर हाट में जमीन दिया गया है। पटना जिला में सबसे पहले कार्य शुरू किया जाय। प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा उप निदेशक मत्स्य, पटना प्रक्षेत्र पटना, को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अपना कार्य शुरू करें। प्रधान सचिव द्वारा बताया कि मत्स्यपालन के बड़े–बड़े किसान हैं, जो डेयरी सॉप के तरह अपना आउटलेट खोल सकते है।

कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा पृच्छा किया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारियों को विभाग से टीकाकरण एवं अन्य कार्यक्रम में क्या लक्ष्य दिया गया है। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम की समीक्षा किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना द्वारा बताया गया कि पटना जिला के 23 प्रखण्डों में 51 पशु चिकित्सालय में 56 पशु चिकित्सक पदस्थापित है। प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा उप निदेशक, पशुपालन को निदेश दिया गया कि पटना प्रमण्डल अन्तर्गत जिलावार पदस्थापित पशु चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि विभाग को सूचित किया जा सके।

प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि रोड मैप 2017–22 पुस्तिका का हिन्दी का सॉफ्ट कॉपी कृषि विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, तथा अँग्रेजी भाषा में साफ्ट कॉपी वेबसाईट पर दो–तीन दिनों में उपलब्ध हो जायेगा। प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि कृषि रोड मैप 2017–22 पुस्तिका की प्रति सभी संबंधित विभाग के जिला स्तर के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

कृषि निदेशक द्वारा माननीय मंत्री, आदरणीय कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रधान सचिव, प्रमण्डलीय आयुक्त, कृषि विभाग एवं अन्य विभाग के पदाधिकारीगण को अपने व्यस्तम समय के बीच समय निकालकर बैठक में आने के लिए आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।
माननीय मंत्री, कृषि, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

08.2.18
TDA, Patna

8.2.18
निदेशक
भूमि संरक्षण, बिहार, पटना

8.2.18
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 864 पटना, दिनांकः 9-2- /2018

प्रतिलिपिः— निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार, के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव,/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमण्डल, पटना/उप निदेशक, प्रक्षेत्र, पटना प्रमण्डल, आरा/उप निदेशक, (पौधा संरक्षण), पटना प्रमण्डल, पटना/उप निदेशक, उद्यान, पटना प्रमण्डल, पटना/ पटना प्रमण्डल अन्तर्गत सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ परियोजना निदेशक, आत्मा/उप निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण/ सहायक निदेशक, उद्यान/सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)/सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

8.2.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः— 864 पटना, दिनांकः 9-2- /2018

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई—मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.2.18

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।